प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रकरण संख्या - 02/2021 आर.टी.आई.
दायर दिनांक - 27.01.2021
निर्णय दिनांक - 15.02.2021

श्री कर्णवीर सिंह चौहान, मु.पो. पीठ, तहसील सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रथम अपील अन्तर्गत राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

-: निर्णय :-

श्री कर्णवीर सिंह चौहान, मु.पो. पीठ, तहसील सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर ने सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील दिनांक 25.01.2021 (दिनांक 25.01.2021 को जरिये ईमेल प्राप्त) कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर प्रेषित की। अपीलार्थी अनुसार लोक सूचना अधिकारी, अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा वांछित सूचनाएं अपूर्ण उपलब्ध कराये जाने से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के पत्र क्रमांक 388-389 दिनांक 27.01.2021 से श्री कर्णवीर सिंह चौहान द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील की प्रति लोक सूचना अधिकारी को भिजवाते हुए अपील पर बिन्दुवार उत्तर चाहा गया तथा उसकी प्रति अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने हेतु लिखा गया। इस पत्र की प्रति अपीलार्थी को भेज सूचित किया गया कि यदि अपील के जवाब पर कोई पक्ष/प्रति-उत्तर निम्नहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करना चाहे अथवा व्यक्तिगत सुनवाई चाहते है तो उपस्थित हो सकते है।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर ने अपील का जबाव दिनांक 28.01.2021 को प्रस्तुत किया, जिसमें अवगत कराया कि आवंटन निरस्त करने की समयावधि की प्रति के प्रत्युत्तर में प्रार्थी को अवगत कराया गया कि आवंटन निरस्त करने की समयावधि बाबत विधिक प्रावधानों में ही इनका वर्णन किया हुआ है और सम्बन्धित समस्त राजस्व अधिनियम/नियम राजस्थान सरकार की राजस्व विभाग की वेबसाईट पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कार्यालय में संधारित सूचनाएं ही उपलब्ध कराई जाती है। राज्य सरकार एवं राजस्व विभाग द्वारा जो भी अधिनियम/नियम, परिपत्र जारी किये जाते है, वह मूल रूप से राज्य स्तर के संबंधित कार्यालय/विभाग द्वारा संधारित किये जाते है। राज्य सरकार की आमजन की सुविधा हेतु समस्त अधिनियम/नियम, परिपत्र को पब्लिक डोमेन/उनकी वेबसाईट पर अपलोड किये जाते है। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है जो कि राजस्व विभाग की वेबसाईट www.landrevenue.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। इसी प्रकार बिन्दु संख्या-7 के सम्बन्ध में भी सूचना राजस्व विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है। बिन्दु संख्या-6 में यदि प्रार्थी तहसीलदार के जवाब से असंतुष्ट है तो वह सम्बन्धित प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपनी अपील प्रस्तुत कर सकता है। अतः लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को सूचना नियत समय पर उपलब्ध कराई गई है एवं किसी सूचना से प्रार्थी को वंचित नहीं रखा गया है।

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा उक्त प्रथम अपील का उत्तर अपीलार्थी को भी भिजवाया गया हैं। इस कार्यालय के पत्रांक 563 दिनांक 02.02.2021 से भी अपीलार्थी को अपना पक्ष/प्रति उत्तर प्रस्तुत करने एवं व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।

प्रश्नगत अपील में लोक सूचना अधिकारी के उत्तर पर अपीलार्थी द्वारा लिखित प्रतिक्रिया जरिये ईमेल दिनांक 08.02.2021 को प्राप्त हुई, जिसमें अपीलार्थी ने कथन किया कि वांछित सूचना पूर्णतया जनहित से जूडी हुई है, लोक सूचना अधिकारी जानबुझ कर सूचना से पल्ला झाड़ने की मंशा से कथन किया जा रहा है कि सूचना पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है जबकि उक्त वेबसाईट व अन्य वेबसाईट पर नहीं होने के कारण प्रार्थी द्वारा सूचना चाही गई। लोक सूचना अधिकारी द्वारा उनके कार्यालय में सूचना संधारित नहीं होने की स्थिति में सूचना प्रावधानोंनुसार अंतरित की जानी थी जो नहीं की गई। तहसीलदार, सीमलवाड़ा के जवाब से असंतुष्ट होने के कारण अधिनियम के प्रावधानोंनुसार वरिष्ठ अधिकारी को नियमानुसार प्रेषित की गई व श्रीमान प्रथम अपीलीय अधिकारी के दोनों लोक सूचना अधिकारी अधिनस्थ होने से क्षेत्राधिकार में श्रवण योग्य है। ऐसे में तहसीलदार को कारण बताओं नोटिस जारी करावें। अंत में अपीलार्थी द्वारा अनुरोध किया कि इस अपील पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए नियमों की आड़ ना लेकर प्रार्थी को जनहित में सूचना उपलब्ध करायेगें।

अपील पर लोक सूचना अधिकारी के जवाब, अपीलार्थी की लिखित प्रतिक्रिया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन एवं मनन किया।

उल्लेखनीय है कि यदि मांगी गई सूचना का कोई हिस्सा आवेदन प्राप्तकर्ता लोक सूचना प्राधिकरण के पास उपलब्ध नहीं है, बल्कि सूचना के अलग-अलग हिस्से एक से अधिक दुसरे प्राधिकरणों के पास उपलब्ध है तो लोक सूचना अधिकारी को आवेदक को सूचित कर देना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को ससमय सूचित कर दिया गया। लेख है कि अधिनियम के तहत वही सूचना देना अपेक्षित है, जो पहले से विद्यमान हो तथा लोक प्राधिकरण द्वारा धारित हो या लोक प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन धारित हो। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। ऐसी सूचना, जिसके हिस्से अलग अलग लोक प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में हो, को एकत्र किया जाना सूचना का सृजन माना जाएगा। अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा करना अपेक्षित नहीं है। ऐसे मामलों में सूचना का संबंध किसी लोक प्राधिकरण विशेष से नहीं होता, इसलिए अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत आवेदन को अंतरित किये जाने का मामला नहीं बनता है। हस्तगत प्रकरण में आवेदन, जवाब एवं प्रत्युत्तर के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि उक्त प्रकरण में वांछित सूचना राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने से सूचना का सृजन किये जाने तुल्य है, जो इस अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है, अतः अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत आवेदन को अंतरित किये जाने का मामला नहीं बनता है।

विधिक स्थिति यह भी है कि सूचना का अर्थ किसी भी रूप में कोई सामग्री है जो उस लोक प्राधिकरण में पहले से उपलब्ध है। सूचना और सूचना का अधिकार की परिभाषा नागरिक को सामग्री प्राप्त करने, सामग्री का निरीक्षण करने, सामग्री के नमूने लेने, डिस्केट इत्यादि के रूप में सामग्री लेने का अधिकार प्रदान करती है। लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षित है कि वह आवेदक को ऐसी सामग्री भेजे जिसके लिए उसने अनुरोध किया जो किन्तु यह अपेक्षित नहीं है कि वह सामग्री से कोई निष्कर्ष निकाले और उसे आवेदक को भेजे। इसके साथ ही सामग्री

उसी रूप में भेजे जिस रूप में वह लोक प्राधिकरण में उपलब्ध है। सामग्री से कुछ तथ्यों की खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गए तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का कर्त्तव्य नहीं है। ऐसे में हम लोक सूचना अधिकारी के जवाब से संतुष्ट है कि राज्य सरकार एवं राजस्व विभाग द्वारा जो भी अधिनियम/नियम, परिपत्र जारी किये जाते है, वह मूल रूप से राज्य स्तर के संबंधित कार्यालय/विभाग द्वारा संधारित किये जाते है। राज्य सरकार की आमजन की सुविधा हेतु समस्त अधिनियम/नियम, परिपत्र को पब्लिक डोमेन/उनकी वेबसाईट पर अपलोड किये जाते है। उल्लेखनीय है कि वांछित सूचना पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है, जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी को उक्त प्रावधानोंनुसार ससमय सूचित कर दिया गया है।

जहां तक तहसीलदार, सीमलवाड़ा के प्रथम अपीलीय अधिकारी होने का प्रश्न है, स्पष्ट है कि कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर हेतु अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर को लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी संभागीय आयुक्त, उदयपुर को अधिसूचित किया गया है, तत्पश्चात द्वितीय राज्य सूचना आयोग को किये जाने का प्रावधान है। अतः लोक सूचना अधिकारी द्वारा तहसीलदार के जवाब से अंसतुष्ट होने पर सक्षम स्तर पर अपील किये जाने हेतु लिखे जाने में कोई त्रुटि नहीं है। अपीलाार्थी द्वारा वरिष्ठ अधिकारी बाबत किया गया विवेचन विधि में अपील की सक्षमता बाबत व्यक्त प्रावधानों से सुसंगत नहीं है।

उपरोक्त विवचेन से स्पष्ट होता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 23.12.2020 से मांगी गई सूचना को अधिनियम की धारा-7 की उपधारा (1) में निर्धारित 30 दिवस की अवधि में उपलब्ध कराई है अर्थात लोक सूचना अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के अनुरोध पर विनिश्चय करने में सफल रहे है।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार एवं खारिज की जाती है। अतः उक्त अपील का निस्तारण करते हुए फैसल शुमार किया जावें एवं नम्बर से कम किया जावें।

(विकास सीतारामजी भाले)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
01- लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
02- श्री कर्णवीर सिंह चौहान, मु.पो. पीठ, तहसील सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर।

संभागीय आयुक्त,
उदयपुर